न्यायालय सिविल जज जू०डि०, खलीलाबाद स्थान– बस्ती

मूलवाद सं० 317/2008

रामप्रगट बनाम पार्वती देवी

23.10.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 76 क[2] पर सुना–

प्रार्थनापत्र 76 क[2] इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मृतक वादी सं० 1 रामप्रगट की वरासत कार्यवाही हेतु प्रार्थनापत्र 74 क[2] दिया गया था, परन्तु टाइपिंग की गलती से उनकी लड़की सुनीता देवी को बतौर वारिस बनाने से छूट गया है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र 74 क[2] में संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 76 क[2] वादी द्वारा वरासत प्रार्थनापत्र 74 क[2] में संशोधन किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। चाहा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि वाद बहुलता कम होगी। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 76 क[2] न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 76 क[2] स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 74 क[2] दिनांक 05.12.2019 को पेश हो।

सिविल जज जू०डि०,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती